

03 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, 01 अदद नाजायज तंमचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा ( चोरी का सामान बेचकर ) 2150 रुपये नगद हुआ बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवां सराय अण्डर पास के पास अभियुक्त अजमल पुत्र अनवारूल निवासी जमालपुर विकमपुर थाना घोसी पुलिस द्वारा यह मोटरसायकिल दिनांक 30.06.2025 को रैनापार थाना क्षेत्र से चोरी किये जाने की बात बतायी गयी तथा यह भी बताया गया कि इस मोटरसायकिल का असली नम्बर जो UP 50AY8491 है को पुलिस को धोखा देने के लिए जनपद मऊ का नम्बर UP 54AY8491 कर दिया गया है इस मोटरसायकिल के सम्बन्ध में जाना रैनापार से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इसके सम्बन्ध में उनके थाने पर मु0अ0स0 255/25 धारा 303(2) बी. एन एस पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना चल रही है। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा दिनांक 16.11.2025 की रात्रि में हडहुआ हाइवे के किनारे स्थित शिवधर सिंह पटेल की जनरल स्टोर की दुकान से चोरी करने की बात बतायी गयी जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 559/25 पारा 305 बीएनएस पंजीकृत है। और यह भी बताया गया कि इस चोरी में मिले सामान को उनके द्वारा बेचकर रुपये खर्च किये गये हैं व 2150 रुपये वो उनके जामा तलाशी से मिले हैं वही बचे हैं और पूछताछ करने पर उनके द्वारा गैंग बनाकर मुख्य रूप से बाना दोहरीघाट, थाना मुहम्मदाबाद, थाना घोसी, थाना कोपांगंज, थाना रैनापार व थाना जीयनपुर थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर बकरी चोरी कर उन्हें बेच कर मौज मस्ती किया जाना बताया गया। उनके इस कृत्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 603/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 336(3/338 बीएनएम पंजीकृत कर बरामदगी के आधार पर पूर्व मुकदमे में धारा 317(2) की बढ़ोतरी कर चालान न्यायालय किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अजमल बंजारा पुत्र अनवारुल बंजारा निवासी जमालपुर विक्रमपुर थाना घोसी जनपद मऊ
2. लियाकत अली पुत्र मुन्ना अली निवासी जमालपुर विक्रमपुर थाना घोसी जनपद मऊ
3. अजीत कुमार पुत्र चम्द्रशेखर प्रसाद निवासी चिउटीडाड थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र

## पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग

1. मु०आ०स० 603/2025 धारा 3/25 आमर्स एक्ट व धारा 336 (3) 338 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु०आ०स० 559/25 धारा 305, 317(2) बीएलएस थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. मु०आ०स० 255/25 धारा 30312) बी. एन. एस थाना रौनापार जनपर आजमगढ़ ।

## बरामदगी विवरण-

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. एक अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस
3. एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल जिसका फर्जी नं० UP 54AY8491 व असली नम्बर जो UP 50AY8491 है
4. चोरी के सामान बेचने के पश्चात किये गये खर्च के बाद बचे 2150 रुपये

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. उ०नि० मदन कुमार गुमा थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. हे का० अजय कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. हे०का विमलेश सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. का० अवनीश यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
6. का० अनिल चौधरी थाना घोसी जनपद मऊ ।
7. का० बिराट पटेल थाना घोसी जनपद मऊ ।

8. का० दिनेश कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
9. का० अमित कुमार थाना घोसी जनपद मऊ ।

**गुमशुदा/खोए कुल 04 अदद मोबाइल फोन लगभग 115,000 (एक लाख पन्द्रह हजार)**  
रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारकों का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना मुहम्मदाबाद में गुमशुदा 04 अदद मोबाइल फोन लगभग 115,000 (एक लाख पन्द्रह हजार ) रुपये आवेदक कन्हैया लाल पुत्र चन्द्रजीत निवासी सोनाडिह थाना घोसी जनपद मऊ, अभिषेक कुमार पुत्र सौरभ निवासी छोटी खनिगह जनपद मऊ, मु० कैफ पुत्र इरफान निवासी मानिकपुर असना थाना कोपांज जनपद मऊ, रविन्द्र चौहान पुत्र ओसियर चौहान निवासी सपरहद विरौवा थाना घोसी जनपद मऊ । बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।